भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

Rs. 20000 INDIA NON JUDICIAL Rs. 20000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

062563

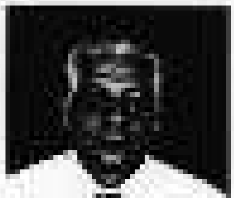

For Suman Buildtech Private Limited

Authorised Signatory

विक्रय विलेख

विक्रय मूल्य	: रू0 9,53,420/-
बाजारू मूल्य	: रू0 5,30,750/-
स्टाम्प शुल्क	: रू0 95,400/-
परगना	: बिजनौर

यह विक्रय विलेख राम दयाल पुत्र [illegible], निवासी–युसुफ नगर उर्फ [illegible], परगना–बिजनौर, तहसील व जिला–

For Suman Buildtech Private Limited

Authorised Signatory

[illegible]

६४९८३४९१

[illegible]

श्री [illegible]

[illegible] 23-6-06 [illegible]

(पु० कं० श्रीवास्तव)

उप निबन्धक सदर

[illegible] 23-6-06

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs. 20000 INDIA NON JUDICIAL Rs. 20000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

062564

-2-

लखनऊ जिन्हें आगे ''विक्रेता'' कहा गया है, एवम् सहनाम बिल्डटेक प्राईवेट लिमिटेड, द्वारा श्री अम्बिका प्रसाद द्विवेदी पुत्र श्री बेनी प्रसाद द्विवेदी, वरिष्ठ प्रबन्धक (प्रशासन), कार्यालय-तृतीय तल, वाई०एम०सी०ए० बिल्डिंग, 13-राणा प्रताप मार्ग लखनऊ, जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेता भूमि सम्बन्धित षटवार्षिक खतौनी सन् 1408 से 1413 फसली के खाता खतौनी क्रम सं० 89 के खसरा संख्या-125 रकबा 1.153 हेक्टेयर में से आधा हिस्सा 0.396

श्री ... पुत्र श्री ... निवासी ...

पुत्र श्री [illegible]

निवासी [illegible]

उप निबंधक

दिनांक

25-6-06

प्रमाण पत्र साक्षियों के निशान

(उप निबंधक)

उप निबंधक-प्रथम

दिनांक

25-6-06

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs. 20000 INDIA NON JUDICIAL Rs. 20000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 062565

हेक्टेयर, स्थित ग्राम कुतुब नगर उर्फ बगियाऊ, परगना बिजनौर, तहसील व जिला-लखनऊ, का मालिक, काबिज व दाखिल है, एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेता यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने इसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न

भारतीय गैर न्यायिक

RUPEES

Rs 20000 INDIA NON JUDICIAL Rs 20000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 062566

ही कुर्की इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सहमति के फलस्वरूप रू0 9,53,420/- (रूपया नौ लाख तिरपन हजार चार सौ बीस मात्र) के प्रतिफल में जिसको के उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करता है, तदानुसार उक्त

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

Rs.15000 Rs.15000

भारत INDIA

0388 363524

विक्रेता उक्त क्रेता के साथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग

For [illegible] Private Limited

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 983889

को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेता उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगी एवं न ही कोई मांग कर सकेंगी। और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। उस स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा ले तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A [illegible]891

उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम मुकुन्द नगर (अगियापुर) अर्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सर्किल रेट रू0 11,00,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.386 हेक्टेयर की बाजारू मालियत रू0 4,24,600/- होती है क्योंकि उक्त भूमि कम्पनी के नाम क्रय की जा रही है अतः विक्रीत भूमि की बाजारू मालियत पर 25

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

प्रतिशत अतिरिक्त के साथ विक्रीत भूमि की बाजारू मालियत कुल रू0 5,30,750/- होती है, चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 95,400/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई पेड़, कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नही है, तथा 200 मी0 के अर्धव्यास में कोई निर्माण नही है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नही

है। विक्रीत भूमि शहीद पथ से लगभग एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय पत्र विक्रेता ने अपने पूरे होशो-हवास व बिना किसी जोर-दबाव के क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवें।

परिशिष्ट : विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण

भूमि सत्यापित पंचवार्षिक खतौनी सन् 1408 से 1413 फसली के खाता खतौनी क्रम सं0 89 के खसरा संख्या-125 रकबा 1.153 हेक्टेअर में से अपना हिस्सा 0.386 हेक्टेअर, स्थित ग्राम यूसुफ नगर उर्फ बगियाऊ, परगना बिजनौर, तहसील व जिला-लखनऊजिसकी चौहद्दी निम्न है।

खसरा नं0 125

पूरब	: खसरा संख्या-150
पश्चिम	: खसरा संख्या-126
उत्तर	: खसरा संख्या-124
दक्षिण	: खसरा संख्या-129

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

कुल रु0 9,53,420/- (रुपया नौ लाख तिरपन हजार चार सौ बीस मात्र) में से रु0 5,00,000/- (रुपया पांच लाख

मात्र) द्वारा चेक संख्या–455775 व रु0 4,53,420/– (रुपया चार लाख तिरपन हजार चार सौ बीस मात्र) द्वारा चेक संख्या–455776, दोनों दिनांकित 29.06.2006, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा–हजरतगंज, लखनऊ विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त किये तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करता है।

लखनऊ

दिनांक: 29.06.2006

गवाह

1.

लखनऊ

विक्रेता

टाईपकर्ता

(अभय शाह)

सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ता

(सैय्यद अनवर हुसैन)

एडवोकेट

इंडियन रजिस्ट्रेशन अधि० 1908 की धारा – 32 ए के अनुपालन हेतु,

फिंगर प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता नाम व पता : [illegible] S/o [illegible]

[illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

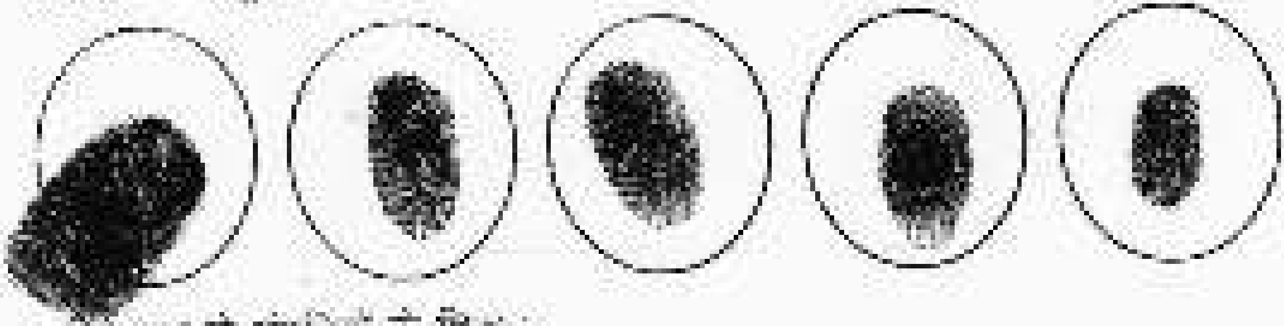

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

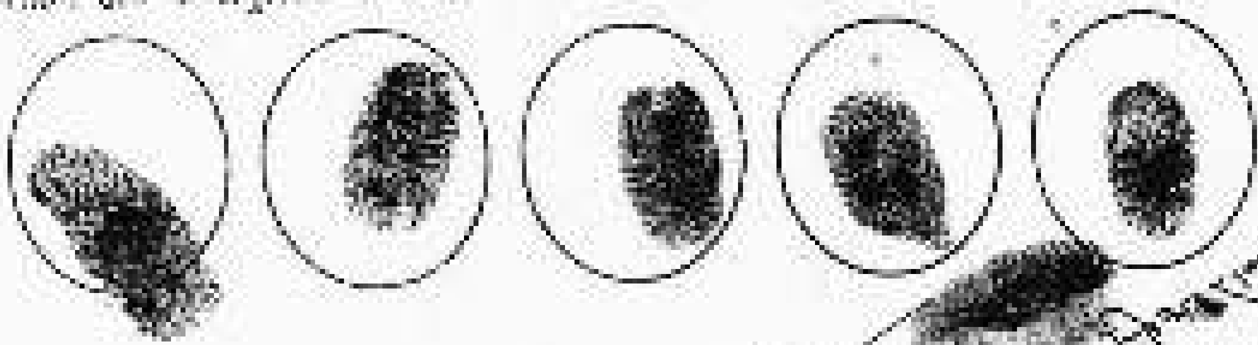

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता / क्रेता नाम व पता :– [illegible] S/o [illegible]

[illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

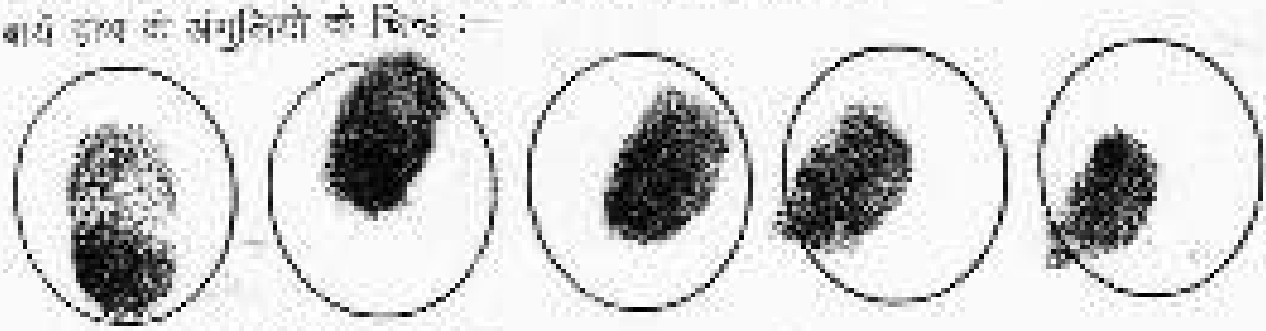

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

नक्शा - नजरी

भूमि :- [illegible]

खसरा सं० :- 135

विक्रेता :- [illegible] S/o [illegible]

क्रेता :- [illegible] W/o [illegible]

१०० मी. त्रिज्या के अन्तर्गत स्थित सरकारी [illegible] का विवरण

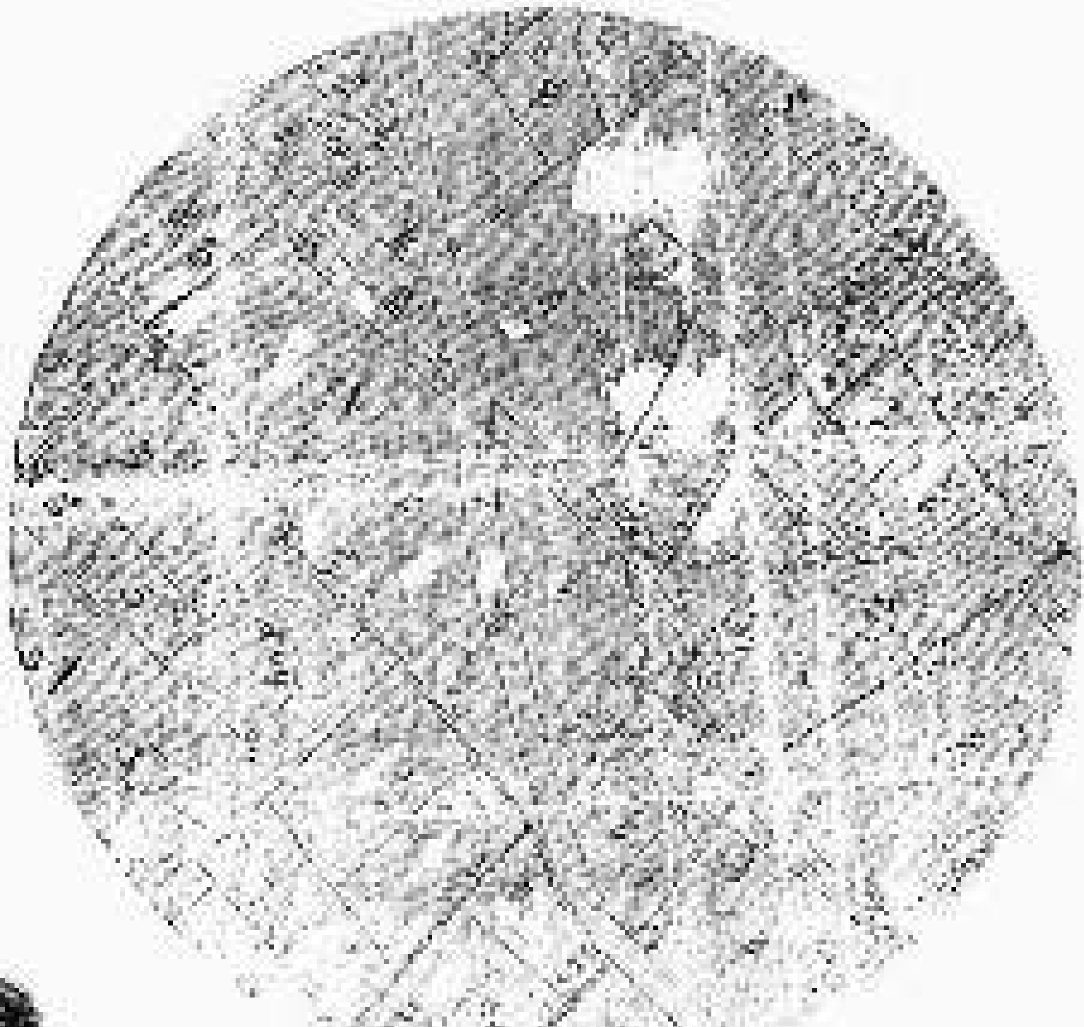

(ह०) [illegible]

2৭-৮০৮
২৬৭৩
৩৫১
১৭২৬